ऋण निगरानी

ऋण वितरण के पश्चात

सतर्कता उपाय

शुभ लक्ष्मी शर्मा, राजभाषा अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल, ए.डी. टॉवर, बैंक रोड, गोरखपुर

पाठकों से अनुरोध

कृपया इस पुस्तिका पर अपने बहुमूल्य सुझाव, विचार इत्यादि ***hindigoraro@centralbank.co.in*** *पर मेल द्वारा भेजें.*

विनम्र निवेदन- *शुभ लक्ष्मी शर्मा, राजभाषा अधिकारी,*
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर

अनुक्रमाणिका

1. बैंक के गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं की स्थिति
2. ऋण की परिभाषा
3. भुगतान
4. ऋण के प्रकार
5. ऋण वरीयता, जोखिम तथा निरस्तीकरण
6. ऋण के प्रभाव
7. ऋण सम्बंधी विभिन्न विभाग
8. निरीक्षण विभाग से सम्बंधित कार्यक्षेत्र
9. लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप समिति
10. ऋण जोखिम
11. व्यापार और कृषि ऋण
12. क्रेडिट मूल्यांकन
13. क्रेडिट मूल्यांकन में बाधायें
14. ऋण जोखिम की गणना
15. ऋण जोखिम प्रबंधन
16. ऋण निगरानी हेतु उपाय सम्बंधित आवश्यक प्रश्न
17. ऋण निगरानी
18. ऋण वितरण के पश्चात सतर्कता उपाय

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं की स्थिति

गोरखपुर	घनासांड़	उर्दू बाज़ार	डुमरी	बढ़नी	पैडलेगंज	एस.एस.एम.	राप्तीनगर
कृष्णानगर	मुंडेराबाज़ार	पी.पी.गंज	बड़हलगंज	महुआडाबर	मानीराम	उरूवाबाज़ार	ट्रांसपोर्टनगर
करजहा	बस्ती	परशुरामपुर	लालपुरपंडित	नन्दनगर	ए.पी.एन.डी.सी.बस्ती	कुदरहा	लालगंज
फतेहपुर	खुनियांव	बेलवा	उदयपुर	सिद्धार्थनगर	प्रतापपुर	बेवाचौराहा	गोण्डा
नवाबगंज	एल.बी.एस.गोण्डा	करनैलगंज	मनकापुर	सांथा	रोसया बाज़ार	खलीलाबाद	मेहधावल
जोगिया	नौतनवा	मिठौरा	हनुमांगढ़ी	देउरवा	बरोहिया	फरेंदा	सिसवा बाज़ार
बलरामपुर	बैतालपुर	बंगरा बाज़ार	बरहज	बरवामीरछापर	भेड़ा पाकड़	भलुअनी	भाटपाररानी
भटवातिवारी	चरियाँव खास	देवरिया	गढ़रामपुर	गौरी बाज़ार	इंदुपुर	करायलशुक्ल	कौंतेयनगर
खेमादेयी	खोरीलारी रामपुर	खुखुंदू	लार	मझवलिया	नवलपुर	न्यु कॉलोनी	पडौली बाज़ार
पडरी बाज़ार	पिपरा चंद्रभान	पैकोली	प्रतापपुर	राघवनगर	राम लक्षन	रामपुरकारखाना	रुद्रपुर
सलेमपुर	सरया	सिरजम	सोहनाग	सोनारी	बनकटा	बेलवा कारखाना	सोहरौना
बुद्धा कॉलेज	फाजिल नगर	हाटा	इंदरपुर	कप्तानगंज	कसया	कठकुइयाँ	खड्डा
खोठहीं	मडारबिंदवलिया	महुआबुजुर्ग	महुआखुर्द	मथौली	मिश्रौली	नेबुआरायगंज	पडरौना
पिपराकनक	पडरीपिपर पांती	रामकोला	सपहा	सेवरही	सुकरौली	तमकुही	यू.पी.आ.विकास
विशुनपुरा							

ऋण (क्रेडिट)

ऋण वह है, जो किसी से माँगा या लिया जाता है; सामान्यतः यह ली गयी संपत्ति को व्यक्त करता है, लेकिन यह शब्द धन की आवश्यकता के परे नैतिक दायित्व एवं अन्य पारस्परिक क्रियाओं को भी व्यक्त करता है। परिसंपत्तियों के मामले में, ऋण कुल जोड़ अर्जित होने के पूर्व वर्तमान में भविष्य की क्रय शक्ति के प्रयोग का माध्यम है। कुछ कंपनियां एवं निगम ऋण का प्रयोग अपनी संपूर्ण संगठित (कॉरपोरेट) वित्तीय योजनाओं के भाग के रूप में करते हैं।

ऋण तब सृजित होता है जब एक ऋणदाता एक ऋण प्राप्तकर्ता या ऋणी को कुछ परिसंपत्ति प्रदान करता है। आधुनिक समाज में, सामान्यतः ऋण को अपेक्षित पुनर्भुगतान के साथ प्रदान किया जाता है; ज़्यादातर मामलों में, ब्याज सहित. ऐतिहासिक रूप से, ऋण अनुबंधित नौकरके सृजन हेतु जिम्मेदार था।

इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द dette एवं अंततः लैटिन de habere (रखना) से निकले शब्द debere (मांगना) से हुई है. Debt (ऋण) शब्द में बी अक्षर का प्रयोग 17वीं शताब्दी में संभवतः सैमुअल जॉन्सन द्वारा 1755 के अपने शब्दकोश में पुनः प्रयुक्त किया गया था - कुछ अन्य शब्द जो बी अक्षर के बिना अस्तित्व में थे, उनमें उसी समय के आसपास बी अक्षर सम्मिलित किया गया।

भुगतान

ऋण के पूर्व, ऋणदाता तथा ऋण प्राप्तकर्ता को ऋण के पुनर्भुगतान तरीके पर सहमत होना चाहिये, जिसे कि बिलंबित भुगतान के मानक के रूप में जाना जाता है। यह भुगतान सामान्यतः मुद्रा की इकाई में तय धनराशि के रूप में होता है लेकिन यह भी कभी-कभी वस्तु या सामग्री के रूप में भी हो सकता है। समय के साथ-साथ भुगतान नियमित किस्तों के रूप में अथवा ऋण अनुबंध की समाप्ति पर एक साथ किया जा सकता है।

ऋण के प्रकार

कोई भी कंपनी अपने कार्यकलापों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये कई तरह के ऋणों का प्रयोग करती है। विभिन्न प्रकार के ऋणों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है - 1) सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋण 2) निजी एवं सार्वजनिक ऋण 3) संघीय एवं द्विपक्षीय ऋण, एवं 4) अन्य प्रकार के ऋण जो उपरोक्त वर्णित ऋणों के एक या अधिक लक्षणों को व्यक्त करता है।

ऋण दायित्व को सुरक्षित माना जाता है यदि ऋणदाता को कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचने का मालिकाना हक हो या अन्यथा कंपनी के विरुद्ध सामान्य दावों से आगे हो. असुरक्षित ऋण में वित्तीय दायित्व शामिल हैं, जहाँ ऋणदाता को उसके दावों को पूरा करने के लिये ऋण प्राप्तकर्ता की परिसंपत्ति पर अधिकार न हो.

निजी ऋण में बैंक ऋण प्रकार के दायित्व शामिल हैं, चाहे वरिष्ठ हों या बीच के. सार्वजनिक ऋण एक सामान्य परिभाषा है जिसमें सभी वित्तीय अधिकार शामिल हैं जो कि एक सार्वजनिक एक्सचेंज (बाज़ार) या पटल पर मुक्त रूप से व्यापार योग्य होते हैं, यदि कोई प्रतिबंध हो.

ऋण का संघीकरण एक जोखिम प्रबंधन तरीका है जो अग्रणी बैंकों को अपने जोखिम को कम करने एवं ऋण प्रदान क्षमता को मुक्त करने के लिये ऋण को अधोलिखित करने की अनुमति देता है

आधारभूत ऋण सबसे सरल तरीके का ऋण है। इसमें एक अनुबंध के द्वारा एक नियत समय में पुनर्भुगतान के लिए रकम प्रदान करना सम्मिलित होता है। वाणिज्यिक ऋणों में, ऋण की मुख्य राशि पर प्रतिवर्ष प्रतिशत के रूप में किये गये ब्याज का भी उस तिथि तक भुगतान करना होता है.

कुछ ऋणों में, ऋण प्राप्तकर्ता को वास्तविक रूप से दी गयी राशि उसके द्वारा वापस की जाने वाली राशि से कम होती है; अतिरिक्त मुख्य राशि का उच्च ब्याज दर की तरह ही आर्थिक प्रभाव होता है एवं इसे कभी-कभी बैंकर का दर्जन संदर्भित किया जाता है.

“बैंकर्स डज़न" पर एक नाटक - मांगे गये बारह (एक दर्जन) पर ग्यारह का ऋण प्राप्त होता है (एक बैंकर का दर्जन). नोट करें कि प्रभावी ब्याज दर छूट के बराबर नहीं है : यदि कोई $10 प्राप्त करता एवं $11 पुनर्भुगतान करता है, तब यह ($11 - $10)/ $10 = 10% ब्याज है; हालाकि, यदि कोई $9 प्राप्त करता एवं $10 पुनर्भुगतान करता है, तब यह ($10 - $9)/ $9 = 11 1/0% ब्याज है.

एक संघीय ऋण किसी कंपनी को दिये जाने वाला वह ऋण है जिसमें वह कंपनी उतनी धनराशि चाहती है जिसे कोई ऋणदाता एकल ऋण के रूप में जोखिम लेने को तैयार न हो, सामान्यतः यह राशि कई मिलियन डॉलर होती है। ऐसे मामलों में, बैंकों का संघ मुख्य धनराशि के एक अंश को प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान करता है.

ऋण की सुरक्षा हेतु निश्चित संस्थानों जैसे कि कंपनियों एवं सरकारों द्वारा बांड जारी किये जाते हैं। बांड के द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता को मुख्य राशि को ब्याज सहित वापस करने की बाध्यता होती है। धन प्राप्ति के इच्छुक संस्थान द्वारा भी बाज़ार में निवेशकों को बांड जारी किये जाते हैं। बांड की एक निश्चित अवधि होती है, सामान्यतः कुछ वर्ष ; दीर्घावधि बांड सहित, जो 30 वर्ष तक चलते हैं, सामान्यतः कम प्रचलित हैं। बॉन्ड की अवधि की समाप्ति पर पूरी धनराशि वापस करनी चाहिये. अंतिम भुगतान के समय ब्याज को भी जोड़ना चाहिये या इसे बॉन्ड की जीवनावधि में नियमित किश्तों (कूपन के रूप में प्रचलित) द्वारा भुगतान किया जा सकता है। बॉन्ड का बॉन्ड बाज़ार में व्यवसाय किया जा सकता है एवं इसे इक्विटी की तुलना में सुरक्षित निवेश के रूप में विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है।

नकद साख

यह प्राथमिक तरीका है जिसमें बैंक सामग्रियों एवं ऋण की प्रतिभूति के विरुद्ध धनराशि प्रदान करते हैं। यह एक चालू खाते की तरह संचालित होता है बशर्ते कि इस खाते से आहरित की जा सकने वाली धनराशि इस खाते में जमा किये गये धन तक ही सीमित नहीं है। इसके स्थान पर, खाता धारक को "लिमिट (सीमा)", "जमा सुविधा" कही जाने वाली एक निश्चित धनराशि को आहरित करने की अनुमति होती है, जो कि खाते में साख राशि से अधिक होती है। नकद साख, सिद्धांततः, मांगे जाने पर भुगतान योग्य हैं। अतएव, ये बैंक की मांग जमाओं के प्रतिरूप हैं.

कार्यशील पूंजी:

फर्मों को उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों हेतु भुगतान के लिये नकद की आवश्यकता होती है। उन्हें वेतन, कच्ची सामग्री, बिलों व कई अन्य मदों हेतु भुगतान करना होता है। इन कार्यों हेतु उपलब्ध धनराशि को फर्म की कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी का मुख्य स्रोत वर्तमान परिसंपत्तियाँ हैं क्योंकि ये अल्पावधि परिसंपत्तियाँ हैं जिनका प्रयोग फर्म नकदी के सृजन हेतु कर सकता है। हालाकि, फर्म के वर्तमान उत्तरदायित्व भी होते हैं, अतएव फर्म की मौजूद कार्यशील पूंजी की गणना करते समय इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये.

अतएव कार्यशील पूंजी:- कार्यशील पूंजी = वर्तमान परिसंपत्ति || भंडार + ऋणदाता + नकद - वर्तमान उत्तरदायित्व इस प्रकार कार्यशील पूंजी ही सकल वर्तमान परिसंपत्तियों की तरह है एवं यह फर्म के तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) के शीर्षाद्ध का महत्त्वपूर्ण भाग है। एक व्यापार के लिये यह अत्यावश्यक है कि वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त कार्यशील पूंजी रखे. कई व्यापार सिर्फ इसीलिये नहीं डूब गये क्योंकि वे अलाभदायक थे, बल्कि उनके पास कार्यशील पूंजी का अभाव था।

बैंक ओवर ड्राफ्ट (जमा धन से अधिक राशि आहरण)

ओवरड्राफ्ट शब्द से तात्पर्य है किसी बैंक खाते से अधिक धन का आहरण. अन्य शब्दों में, कोई खाता धारक बैंक खाते से जमा धन की तुलना में अधिक धन आहरित करता है। ओवरड्राफ्ट तब घटित होता है जब बैंक खाते से आहरित धन उपलब्ध शेष धन से अधिक हो जाता है जो कि खाते को ऋणात्मक संतुलन प्रदान करता है - ऐसी स्थिति में व्यक्ति को "अति आहरित" कहा जा सकता है।

यदि खाता प्रदाता से ओवरड्राफ्ट संरक्षण योजना हेतु कोई पूर्व अनुबंध है एवं अतिरिक्त आहरित राशि प्राधिकृत ओवरड्राफ्ट सीमा के अंतर्गत है, तब सहमत दर पर ही ब्याज अधिरोपित किया जाता है। यदि यह शेष राशि सहमत शर्तों से अधिक हो जाती है तो शुल्क एवं उच्चतर ब्याज दर को अधिरोपित किया जा सकता है.

आवधिक ऋण

आवधिक ऋण बैंक में नियत जमा के प्रतिरूप हैं। बैंक इस तरीके से तब धन प्रदान करता है, जब पुनर्भुगतान नियत या तय, पूर्व निर्धारित किस्तों के द्वारा होना हो. इस तरह के ऋण, ऋण प्राप्तकर्ता को दीर्घावधि परिसंपत्तियों की प्राप्ति हेतु प्रदान किया जाता है, यानि ऐसी परिसंपत्तियाँ जो ऋण प्राप्तकर्ता को दीर्घावधि में लाभ प्रदान करें (कम से कम एक वर्ष से अधिक). इस श्रेणी में संयंत्र एवं मशीनरी का क्रय, कारखाने हेतु इमारत का निर्माण, नयी परियोजनाओं की स्थापना आदि आती हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता सामग्रियों, अचल संपत्ति के क्रय हेतु वित्तीय सहायता एवं आधारभूत ढ़ाँचे का सृजन भी आता है.

बिल में छूट (रियायत):

कुछ छोटे बैंकों में बिल रियायत एक प्रमुख गतिविधि है। गतिविधि में बैंक ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा अपने ग्राहक पर आहरित बिल को लेता है एवं छूट/ कमीशन के रूप में कुछ धनराशि की कटौती करके तत्काल भुगतान कर देता है। तत्पश्चात, बैंक इस बिल को देय तिथि को ऋण प्राप्तकर्ता के ग्राहक को प्रस्तुत करता है एवं कुल धनराशि एकत्र करता है। यदि बिल में विलम्ब हो जाता है तो ऋण प्राप्तकर्ता या उसका ग्राहक बैंक को लेनदेन की शर्तों के अधीन पूर्व-निर्धारित ब्याज का भुगतान करते हैं.

परियोजना हेतु वित्त प्रदान:

परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना दीर्घावधि आधारभूत ढ़ांचे एवं औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है, जो एक जटिल वित्तीय ढांचे पर आधारित है जिसमें परियोजना ऋण एवं इक्विटी का प्रयोग परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने में किया जाता है, न कि परियोजना प्रायोजकों का तुलन पत्र. सामान्यतः, एक परियोजना वित्त ढ़ाँचे में प्रायोजक के रूप में पहचाने जाने वाले कई इक्विटी निवेशकों के साथ-साथ बैंकों के संघ सम्मिलित होते हैं जो कार्य कलापों हेतु ऋण प्रदान करते हैं।

गैर निधि आधार

साख पत्र (लैटर ऑफ क्रेडिट)

लेन देन में साख पत्र भी भुगतान का स्रोत हो सकता है, इसका तात्पर्य है कि साख पत्र के मोचन (रिडीम) द्वारा निर्यातक को भुगतान प्राप्त होगा. साख पत्रों का प्रयोग प्राथमिक रूप से बड़ी कीमत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेनदेनों में होता है जहाँ यह लेनदेन एक देश के आपूर्तिकर्ता एवं दूसरे देश के ग्राहक के मध्य होता है। इनका प्रयोग भूमि विकास प्रक्रिया में भी होता है, यह सुनिश्चित करने के लिये कि अनुमोदित जन सुविधाओं (गलियां, फुटपाथ, वर्षा जल तालाब इत्यादि) का निर्माण किया जायेगा. साख पत्र के पक्ष सामान्यतः एक लाभ प्राप्तकर्ता, जिसे धन प्राप्त करना हो, जारीकर्ता बैंक जिसका आवेदक एक ग्राहक है एवं परामर्शक बैंक जिसका लाभप्राप्तकर्ता एक ग्राहक है, होते हैं। लगभग सभी साख पत्र अटल होते हैं, यानि इनमें लाभ प्राप्तकर्ता, जारीकर्ता बैंक एवं विनिश्चय करने वाले बैंक, यदि कोई हो, की पूर्व सहमति के बिना कोई संशोधन या निरस्तीकरण नहीं किया जा सकता. लेनदेन करते समय साख पत्र में गिरोज़ एवं यात्री चैकों की तरह ही कार्यकलाप होते हैं। सामान्यतः, भुगतान प्राप्त करने के लिये लाभ प्राप्तकर्ता को वाणिज्यक बीजक (इनबॉइस), माल लदाई का बिल एवं परिवहन में हानि या क्षति के प्रति सुरक्षा प्रदान करने हेतु इंश्योरेन्स दस्तावेज को प्रस्तुत करना होता है। हालाकि, सूची एवं दस्तावेजों के प्रकार कल्पना एवं बातचीत हेतु खुले हैं एवं भेजी गयी सामग्री की गुणवत्ता व उद्भव स्थान को प्रमाणित करते हुये निष्पक्ष तृतीय पक्ष द्वारा जारी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता निहित हो सकती है.

लेखाकरण ऋण

राष्ट्रीय लेखाकरण में, ऋणियों के अनुसार ही ऋण को जोड़ा जाता है। गृहस्थी ऋण वह ऋण है जो गृहस्थों के ऊपर होता है। राष्ट्रीय" या सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जो विभिन्न सरकारी संस्थानों (संघीय सरकार, राज्यों शहरों...) के ऊपर होता है। व्यापार ऋण वह ऋण है जो व्यापार के ऊपर होता है। वित्तीय ऋण वह ऋण है जो वित्तीय क्षेत्र (एक वित्तीय संस्थान से अन्य पर) के ऊपर होता है। कुल ऋण इन सभी प्रकार के ऋणों का योग होता है, सिवाए वित्तीय ऋण के, ताकि दुहरे लेखाकरण को रोका जा सके. इन विभिन्न प्रकार के ऋणों की गणना ऋण/ जीडीपी (GDP) अनुपात में की जा सकती है। ये अनुपात ऋणग्रस्तता में परिवर्तनों की गति एवं देय ऋण के आकार के आंकलन में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिये, यू एस ए में उच्च उपभोक्ता ऋण एवं निम्न सार्वजनिक ऋण होते हैं, जबकि पूर्वी यूरोपीय देशों में इसके विपरीत होता है.

निजी एवं सार्वजनिक अभिकर्ताओं हेतु ऋण के लेखाकरण में अंतर है। यदि एक निजी अभिकर्ता कुछ समय बाद भुगतान का वचन देता है, तो वह ऋण होता है एवं यह ऋण सार्वजनिक अभिकर्ताओं द्वारा प्रवर्तन योग्य होते हैं। यदि एक सार्वजनिक निकाय यह कानून पारित करता है कि वह कुछ समय बाद कुछ भुगतान करेगा, तो उसे बाद में कानून में परिवर्तन (एवं भुगतान न करने) का अधिकार होता है। इसीलिये, उदाहरणतः, सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति हेतु धन के भुगतान को सार्वजनिक ऋण आंकलन में प्रदर्शित नहीं किया जाता, जबकि निजी कंपनियों द्वारा सेवानिवृत्ति के समय दिये जाने वाले धन को प्रदर्शित किया जाता है।

<u>प्रतिभूतिकरण</u>

प्रतिभूतिकरण तब घटित होता है जब एक कंपनी परिसंपत्तियों एवं प्राप्ति योग्यों को एक समूह में रखती है तथा एक ट्रस्ट के माध्यम से बाज़ार में इकाईयों में बेचती है। नकदी प्रवाह सहित किसी भी परिसंपत्ति में प्रतिभूतिकरण हो सकता है। इन प्राप्तियों से प्रवाहित होने वाली नकदी का प्रयोग इन यूनिटों के धारकों को भुगतान हेतु किया जाता है। कंपनियां अक्सर यह कार्य इन परिसंपत्तियों को अपने तुलन पत्रों से हटाने एवं परिसंपत्ति के नकदीकरण में करती हैं। यद्यपि ये परिसंपत्तियां तुलन पत्र से "हटा" दी गयी है एवं ट्रस्ट की जिम्मेदारी मानी जाती है, इससे कंपनी की भागीदारी समाप्त नहीं होती. अक्सर कंपनी ट्रस्ट में अपनी रुचि बनाये रखती है जिसे "इंटरैस्ट ओनली स्ट्रिप" या "फर्स्ट लॉस पीस" कहा जाता है। ट्रस्ट द्वारा किया जाने वाला कोई भी भुगतान नियमित निवेशकों के लिए इस ब्याज से पूर्व किया जाना चाहिये. यह निवेशक को कुछ हद तक जोखिम से बचाता है तथा प्रतिभूतिकरण को और आकर्षक बनाता है। उपरोक्त वर्णित से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ये परिसंपत्तियाँ वास्तव में तुलन पत्र पर नहीं होती तथा इस ब्याज पर कंपनी को हानि पहुँचा रही हैं।

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

.

ऋण वरीयता, जोखिम तथा निरस्तीकरण

जोखिम मुक्त ब्याज दर

बड़ी कंपनियों अथवा सरकार जैसी स्थिर वित्तीय संस्थाओं को ऋण देना प्रायः "जोखिम मुक्त" अथवा "निम्न जोखिम" का माना जाता है तथा यह "जोखिम मुक्त ब्याज दर" पर दिया जाता है। इसका कारण यह है कि ऋण तथा ब्याज में चूक होने की अत्यल्प संभावना होती है। इस तरह के जोखिम मुक्त ऋण का एक अच्छा उदाहरण यू एस कोषालय प्रतिभूति है, यह अर्थशास्त्र में उपलब्ध निम्नतम प्रतिफल का उत्पादन करता है, परन्तु निवेशकों को निश्चित प्रत्याशाओं का दिलासा (लगभग पूरी तरह से) होता है कि यू एस कोषालय अपने ऋण इन्स्ट्रूमेंट में चूक नहीं करेगा. जोखिम मुक्त दर का सामान्य रूप से भी प्लवमान ब्याज दरों को निर्धारित करने में भी प्रयोग होता है, जिसकी साधारणतया जोखिम मुक्त ब्याज दर तथा ऋण प्राप्तकर्ता की साख क्षमता पर आधारित ऋणदाता को बोनस में जोड़कर गणना की जाती है (अन्य शब्दों में, उसके द्वारा वापसी में चूक का जोखिम तथा ऋणदाता के ऋण का डूबना). वास्तव में, कोई भी ऋण सत्यता में "जोखिम मुक्त" नहीं होता, परन्तु "जोखिम मुक्त" दर के ऋणियों की वापसी में चूक बहुत कम प्रत्याशित होती है.

यद्यपि यदि ऋण की अवधि में मुद्रा की वास्तविक कीमत परिवर्तित होती है, तब वापस किये गये धन की क्रय शक्ति में ऋण के प्रारंभ की अपेक्षा काफी अन्तर होगा. इसलिये, व्यावहारिक निवेश के दृष्टिकोण से "जोखिम मुक्त" अथवा "निम्न जोखिम" ऋणों में अभी भी काफी जोखिम मौजूद है। मुद्रा की वास्तविक कीमत मुद्रास्फीति के कारण अथवा विदेशी निवेश के मामले में, विनिमय दर के उतार चढ़ाव के कारण परिवर्तित हो सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय समझौता बैंक केन्द्रीय बैंकों का एक संगठन है जो यह निर्धारित करता है, कि दिये गये ऋण के विरुद्ध बैंक को कितनी पूंजी अपने पास रखनी है.

वरीयता तथा साख योग्यता

मूडीज़, फिच रेटिंग इंक, ए.एम. बेस्ट तथा स्टेण्डर्ड तथा पूअर्स जैसी वरीयता संस्थाओं द्वारा सरकारों तथा निजी निगमों, दोनों के द्वारा उधार लिये गये विशिष्ट बॉन्ड ऋणों को वरीयता प्रदान की जाती है। सरकारी अथवा स्वयं कम्पनी को भी उनकी अलग वरीयता दी जायेगी. ये संस्थाऐं ऋणी के दायित्वों का सम्मान करने के लिये उसकी क्षमता का मूल्यांकन करती हैं तथा उसके अनुसार उसे साख वरीयता देती हैं। मूडीज़ एएए एए ए बीएए बीए बी सीएए सीए सी शब्दों का प्रयोग करती है जिसमें एए-सीएए वरीयता 1-3 संख्या के योग्य होता है।

वरीयता में परिवर्तन कम्पनी पर अत्यधिक प्रभाव डालता है, चूंकि उसके पुनर्वित्त की लागत उसकी साख योग्यता पर निर्भर करती है। बीएए/बीबीबी (मूडीज़/एसएंडपी (S&P)) से नीचे के बॉन्ड बेकार- अथवा अत्यधिक जोखिम बॉण्ड कहलाते हैं। उनमें चूक होने के अत्यधिक जोखिम (बीए के लिये लगभग 1.6 %) की क्षतिपूर्ति उच्चतर ब्याज भुगतानों से की जाती है। बुरा कर्ज वह ऋण होता है जो ऋणी द्वारा वापस (आंशिक अथवा पूर्ण रूप से) नहीं किया जा सकता. ऋणी को उसके कर्ज के लिये दोषी कहा जाता है। इस तरह के ऋणों को बारंबार पुनः पैकेज किया जाता है तथा अंकित मूल्य (फेस वैल्यु) से नीचे बेचा जाता है। बेकार बॉन्डों को खरीदना जोखिम भरा माना जाता है परन्तु निवेश का काफी लाभप्रद स्वरुप है.

निरस्तीकरण

दीवालियापन के बिना यह विरले ही होता है कि ऋण को पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से छोड़ दिया जाये. कुछ संस्कृतियों में परंपरा की यह मांग होती है कि समाज के समूहों के मध्य प्रणालीगत असमानताओं की रोकथाम के लिए इसे नियमित आधार पर (प्रायः वार्षिक) किया जाये या कोई भी जो ऋण को रखने में एवं जबरदस्ती पुनर्भुगतान में विशेषज्ञ बन रहा हो.

अंग्रेजी कानून के अन्तर्गत जब ऋणदाता को ऋण को त्यागने के लिये धोखा दिया जाता है, तो यह अपराध है.

अन्तर्राष्ट्रीय तृतीय विश्व का ऋण ऐसे पैमाने पर पहुंच गया है कि कई अर्थशास्त्री इस बात से संतुष्ट है कि विकासशील राष्ट्रों के सम्बन्ध में वैश्विक इक्विटी को बहाल करने के लिये ऋण रद्दीकरण ही एक मात्र उपाय है.

ऋण के प्रभाव

ऋण व्यक्तियों तथा संगठनों को वह सब करने की अनुमति देते हैं जो वे अन्यथा करने में असमर्थ होते है अथवा उन्हें अनुमति नहीं होती. साधारणतः औद्योगीकृत राष्ट्रों में व्यक्ति इसका प्रयोग मकान, कारें तथा कई अन्य वस्तुऐं खरीदने में करते हैं जो अधिक मंहगी होने के कारण उपलब्ध नकद पैसे से नहीं खरीद पाते. कम्पनियां भी ऋण का प्रयोग कई तरह से अपनी परिसम्पत्ति में निवेश को प्रभावी करने के लिये करती हैं जिससे उनकी इक्विटी की वापसी प्रभावी हो. यह प्रभाव, इक्विटी के लिये ऋण का अनुपात, निवेश के जोखिम को निर्धारित करने के लिये महत्वपूर्ण समझा जाता है; प्रत्येक इक्विटी पर जितना ऋण होगा, उतना अधिक यह जोखिम भरा होगा. कंपनियों तथा व्यक्तियों दोनों के लिये यह बढ़ा हुआ जोखिम कमजोर परिणाम का कारण बन सकता है, क्योंकि ऋण की देखभाल की लागत बाहरी घटनाओं (आय की कमी) अथवा आन्तरिक कठिनाईयों (संसाधनों का कमजोर प्रबंधन) के कारण भुगतान की क्षमता से अधिक बढ़ सकती है।

ऋण संचयन की अधिकता को आर्थिक समस्याओं को बदतर बनाने हेतु दोषी ठहराया गया है। उदाहरण के लिये अत्यधिक अवनमन ऋण के प्रारंभ से पूर्व/जीडीपी (GDP) अनुपात बहुत अधिक था। आर्थिक एजेन्ट भारी ऋणी थे। भविष्य की वापसियों पर अत्यधिक प्रत्याशा के समकक्ष, यह अत्यधिक ऋण, शेयर बाज़ार में परिसम्पत्ति बुलबुलों के साथ रहा. जब प्रत्याशा में सुधार किया गया, मुद्रा अपस्फीति तथा साख चरमराहट प्रारंभ हुई. मुद्रा अपस्फीति ने प्रभावी रूप से ऋण को अधिक मंहगा कर दिया तथा, जैसा कि फिशर ने स्पष्ट किया है, इससे मुद्रा अपस्फीति पुनः प्रभावी हुई क्योंकि अपने ऋण स्तर को कम करने के लिये, आर्थिक एजेन्टों ने उनके उपभोग तथा निवेश को कम कर दिया. मांग की कमी ने व्यापार गतिविधियों को कम कर दिया एवं और बेरोजगारी पैदा की. अधिक प्रत्यक्ष अर्थों में मुद्रा अपस्फीति के कारण बढ़ी हुई ऋण लागत तथा घटी हुई मांग, दोनों के कारण अधिक दिवालियापन भी पैदा हुआ।

कुछ संगठनों के लिये उधारी तथा पुनर्भुगतान व्यवस्थाओं के वैकल्पिक प्रकारों में प्रवेश करना संभव होता है जिससे दिवालियापन नहीं होगा. उदाहरण के लिये कम्पनियां कई बार ऋणों को उनके द्वारा उधार ली गई इक्विटी में बदल देती है। इस मामले में, ऋणदाता को ऋण के समकक्ष कुछ तथा ऋणी के डिविडेंड एवं कैपिटल गेन के रूप में ब्याज को प्राप्त करने की आशा रहती है। "पुनर्भुगतान", अतएव, ऋणी द्वारा की गयी आय के आनुपातिक होता है एवं इसलिये अपने आप में दीवालियापन का कारण नहीं बनता. इस तरह से एक बार ऋण के परिवर्तन हो जाने के बाद इसे ऋण नहीं कहा जायेगा.

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग

कार्य:

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग भारतीय रिजर्व बैंक में एक पृथक विभाग के रूप में मार्च 2005 में अस्तित्व में आया। विभाग के कार्यों में शामिल हैं:

- *भुगतान और निपटान प्रणाली के संबंध में नीति निर्माण*
- *भुगतान और निपटान प्रणालियों / ऑपरेटरों का प्राधिकरण*
- *भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन*
- *भुगतान और निपटान प्रणाली का पर्यवेक्षण और निगरानी*
- *भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए मानकों का निर्धारण*
- *राष्ट्रीय महत्व की भुगतान प्रणाली परियोजनाओं को डिजाइन करना, उनका विकास और एकीकारण करना और / अथवा इनके क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना*
- *अंतर्राष्ट्रीय निपटारों के लिए बैंक द्वारा प्रतिपादित भुगतान प्रणाली से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का कार्यान्वयन*

विभाग के चार क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में हैं।

भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड

भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (बीपीएसएस) ने सभी प्रकार की भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित नीतियों का प्रावधान किया है। बीपीएसएस मौजूदा और साथ ही साथ भविष्य की भुगतान प्रणालियों के लिए मानकों की स्थापना, भुगतान और निपटान प्रणालियों / ऑपरेटरों को प्राधिकृत करने, इन प्रणालियों की सदस्यता के लिए मानदंड निर्धारित करने के साथ इनके जारी रहने, समाप्ति और सदस्यता को रद्द करने से संबन्धित विषयों पर मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। प्रत्येक तिमाही में बीपीएसएस की बैठक होती है।

- *भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियां भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत विनियमित हैं। पीएसएस अधिनियम और इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 दिनांक 12 अगस्त 2008 से प्रभावी हुई। पीएसएस अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति भारत में भुगतान प्रणाली को आरंभ और परिचालित नहीं कर सकता है जब तक कि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो।*

- *भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली में चेक आधारित समाशोधन प्रणालियाँ, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) सूट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए किए गए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, प्रीपेड भुगतान लिखत, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि शामिल हैं। जबकि, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) वित्तीय बाजार की आधारभूत संरचना को बनाते हैं वहीं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) खुदरा भुगतानों के लिए एक छत्र संगठन है।*

निरीक्षण विभाग

निरीक्षण विभाग की स्थापना उसी वर्ष अर्थात् 1935 में हुई, जिस वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना कार्य आरंभ किया था। विभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालन/ कार्यप्रणाली के संबंध में निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ आश्वासन/ फीडबैक देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विभाग उपर्युक्त का परीक्षण और मूल्यांकन करता है और रिज़र्व बैंक के जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण तथा गवर्नेंस प्रक्रिया की पर्याप्तता और विश्वसनीयता के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

निरीक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा तथा जोखिम प्रबंधन उप समिति (ए.आर.एम.एस) के सचिवालय का कार्य करता है तथा अपने मूल्यांकन की रिपोर्ट उप समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, इस विभाग द्वारा केंद्रीय बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आइ.टी.एस.सी) को सूचना प्रणाली (आइ.एस) लेखापरीक्षाओं के निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किए गए लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को कार्यपालक निदेशक समिति के समक्ष समीक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की गवर्नेंस-संरचना में आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रमुख भूमिका है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में निरीक्षण विभाग से संबंधित कार्यक्षेत्र/ दायरे

वर्तमान में, विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रकार के निरीक्षण किए जाते हैं/ उनका समन्वय किया जाता है।

- जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआइए)
- सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा (आइएस ऑडिट)
- समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए)
- नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए)

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआइए)

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआइए) के अंतर्गत निरीक्षण विभाग द्वारा प्रबंधतंत्र को स्वतंत्र और वैकल्पिक राय प्रदान की जाती है, चाहे यह रिज़र्व बैंक के सीधे कारोबार प्रक्रिया से जुड़ी हो या नहीं तथा इससे उत्पन्न जोखिमों का उचित तरीके से प्रबंधन किया जाता है। जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआइए) द्वारा अन्य लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों की समीक्षा की जाती है। केंद्रीय कार्यालय के विभागों (केंकावि), क्षेत्रीय कार्यालय (क्षेका), प्रशिक्षण संस्थानों (प्रसं), बैंकिंग लोकपाल कार्यालय (बैंलोका) और संबद्ध संस्थानों (ससं) की विभिन्न इकाइयों की लेखापरीक्षा आवधिक आधार पर 12 से 24 महीनों के बीच की जाती है।

सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा (आईएसए)

सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा (आईएसए) आरबीआइए लेखापरीक्षा के भाग के रूप में की जाती है ताकि रिजर्व बैंक में इस्तेमाल की जा रही सूचना प्रणालियों से संबंधित जोखिम नियंत्रण उपायों का मूल्यांकन किया जा सके। इसके अलावा, विभाग द्वारा कंप्यूटर एप्लिकेशनों/प्रणालियों, प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों, सेवाओं आदि की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा भी की जाती है। यह लेखापरीक्षाएं, लेखापरीक्षा तथा जोखिम प्रबंधन उप समिति (एआरएमएस)/ सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आइटीएससी)/ उच्च प्रबंध तंत्र अथवा कारोबार स्वामी विभागों के अनुरोध / उपयोगकर्ता विभागों/ सूप्रौ विभाग के निर्देशों के आधार पर अथवा विभाग द्वारा जरूरत के अनुसार, कार्यक्षेत्रों की गंभीरता/ परिचालनों के महत्व/ प्रणालियों को ध्यान में रखकर की जाती हैं।

समवर्ती लेखा परीक्षा (सीए)

आंतरिक तंत्र के हिस्से के रूप में सभी व्यावसायिक इकाइयों से अपेक्षित है कि वे अपने लेनदेनों (मुख्य रूप से वित्तीय लेन-देन) की लेखापरीक्षा नियमित आधार पर बाह्य सनदी लेखाकारों से कराएं।

नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखा परीक्षा (सीएसएए)

यह एक स्वमूल्यांकन/ गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया है जिससे जोखिम नियंत्रणों से संबंधित कमियों का मूल्यांकन/पता लगाया जा सके और समय-समय पर संबंधित कार्यों की समीक्षा की जा सके तथा इन कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। यह मूल्यांकन उन लोगों द्वारा किए जाते हैं, जो मूल्यांकन किए जाने वाले परिचालनों/ प्रक्रियाओं से सीधे जुड़े नहीं होते हैं। सभी कारोबार इकाइयों से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार अर्थात जून और दिसंबर छमाही में सीएसएए लेखापरीक्षा सुनिश्चित करें।

अनुपालन, अनुवर्ती कार्रवाई और रिपोर्टिंग

निरीक्षण विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों (आरबीआइए, आइएसए/टीए, सीए सीएसएए) के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ताकि तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई और जोखिम निवारक उपाय किए जा सकें। विभाग आवश्यकतानुसार, ऑफसाइट और ऑनसाइट मूल्यांकन भी करता है। विभाग द्वारा कारोबार इकाइयों से समय-समय पर रिटर्न प्राप्त करके ऑफसाइट निगरानी की जाती है और उनका विश्लेषण भी किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप समिति (एआरएमएस) तथा कार्यपालक निदेशक समिति (ईडीसी) की बैठकें

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा तथा जोखिम प्रबंधन उप समिति (ए.आर.एम.एस) की बैठकों का समन्वय और समय-समय पर बैठकों को आयोजित कराने की व्यवस्था की जाती है। एआरएमएस और ईडीसी की बैठकें सामान्यत: तिमाही में एक बार की जाती हैं। विभाग द्वारा छमाही आधार पर केंद्रीय बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आइ.टी.एस.सी) को सूचना प्रणाली (सूचना सुरक्षा सहित) लेखापरीक्षाओं की रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती है।

आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग

आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग की मुख्य गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- जोखिम और लागत प्रभावी ढंग से सरकार के ऋण का प्रबंधन;
- सरकार के ऋण प्रबंधन के लिए अभिनव और व्यावहारिक समाधान प्रदान करना;
- प्राथमिक डीलरों के मजबूत संस्थागत ढांचे का निर्माण।

विभाग में निम्नलिखित प्रभागों के माध्यम से कार्य किया जाता है:

i. सरकारी उधार प्रभाग (जीबीडी): भारत सरकार (भारत सरकार के परामर्श से निर्गम कैलेंडर संबंधी तैयारी सहित), सभी राज्य सरकारों और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बाजार उधार कार्यक्रमों, लिखतों का चयन तथा अवधि का प्रबंधन, नीलामी प्रक्रिया का प्रबंधन और राज्य और केंद्र के नकदी शेष की निगरानी करना।

ii. लेन देन परिचालन प्रभाग (डीओडी): सीएसएफ और जीआरएफ जैसी योजनाओं के अधीन और विदेशी केंद्रीय बैंकों की ओर से योजनाओं के तहत राज्य सरकारों द्वारा निवेश प्रयोजनों के लिए द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियों की खरीद के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार के साथ इंटरफेस। अन्य बातों के अलावा सरकारी प्रतिभूतियों की प्राप्तियों की घटबढ़ पर नजर रखता है तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक फीडबैक प्रदान करता है। द्वितीयक बाजार - सरकारी प्रतिभूतियों का मासिक और त्रैमासिक विश्लेषण किया जाता है।

iii. *प्राथमिक व्यापारी विनियमन प्रभाग (पीडीआरडी): प्राथमिक व्यापारियों का विनियमन तथा पर्यवेक्षण करता है और प्राथमिक नीलामी में उनकी बोली-प्रतिबद्धताओं पर नज़र रखता है, प्राथमिक व्यापारियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है और नए प्रतिभागियों को प्राधिकृत करता है।*

iv. *अनुसंधान प्रभाग: राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन सहित विभिन्न समितियों के लिए नीति, विश्लेषणात्मक और तकनीकी जानकारी प्रदान करने लिए नीति, विश्लेषणात्मक और तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए नोडल प्रभाग है। इसके अलावा संसदीय प्रश्न, केंद्रीय बोर्ड / केंद्रीय बोर्ड की समितियों के प्रश्नों, बैंक, भारत सरकार और अन्य प्रकाशनों के लिए शोध संबंधी योगदान देने के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करता है।*

v. *प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रभाग: सरकार नकदी शेष संबंधी आंकड़ा संचय (डाटाबेस) पर नजर रखना, शीर्ष प्रबंधन के लिए एमआईएस रखना, विभिन्न सांविधिक और आंतरिक प्रकाशनों के लिए डेटा प्रदान करता है, सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी मंच की देखरेख और विश्लेषणात्मक कार्य करता है। इसके अलावा मुख्य रूप से बैंक की तरलता प्रबंधन प्रयोजनों के लिए सरकारी नकदी शेष के आकलन और अल्पावधिक अनुमानों मूल्याकंन करता है।*

vi. *केंद्रीय ऋण प्रभाग (सीडीडी): लोक ऋण प्रबंधन संबंधी कार्यों का लेखा / रिपोर्टिंग रखता है। सरकारी प्रतिभूतियों के डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करने साथ ही लोक ऋण का रखरखाव एवं सर्विस करनेवाले लोक ऋण कार्यालयों के लिए नीति तैयार करना तथा निगरानी संबंधी कार्य करता है। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 / नियम 2007 और लोक ऋण अधिनियम, जहाँ भी 1944 / नियम 1947 लागू करने की व्यवस्था करता है।*

जोखिम निगरानी विभाग

रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कायान्वयन हेतु जोखिम निगरानी विभाग का गठन किया गया है। परिचालनात्मक जोखिमों और वित्तीय जोखिमों की देखरेख हेतु इस विभाग में दो प्रभाग हैं। समूचे रिज़र्व बैंक में व्यापक रूप से जोखिमों की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु जोखिम निगरानी विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार करना और रिज़र्व बैंक की नीतियां/कार्यपद्धतियां/नीतियां/कार्यपद्धतियां/मैट्रिक्स तैयार करना और उसकी आवधिक समीक्षा करना तथा प्रकार्यात्मक ईकाइयों से यह सुनिश्चित करने

- के लिए चर्चा करना कि सभी उल्लेखनीय जोखिमों की पहचान कर ली गई है।
- प्रकार्यात्मक इकाइयों द्वारा रिपोर्ट किए गए जोखिमों की रिपोर्टों को एकत्रित कर उनकी निगरानी करेगा और आवधिक रूप से उन्हें जोखिम निगरानी समिति (आरएमसी) तथा लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन उप समिति (एआरएमएस) के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।
- रिज़र्व बैंक की नीतिगत कार्रवाइयों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिमों का मूल्यांकन करेगा और उनके संबंध में आरएमसी और एआरएमएस को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- संस्थागत स्मृति (इन्स्टिट्यूशनल मेमरी) के निर्माणार्थ 'विस्मरणशील' और 'प्राय: विस्मरणशील' घटनाओं का एक डेटाबेस तैयार करेगा।
- रिज़र्व बैंक की कारोबार निरंतरता योजनाओं (बीसीपी) की पर्याप्तता व उपयुक्तता की आवधिक समीक्षा करेगा।
- संगठन में जोखिम प्रबंधन प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का कार्य करेगा।

ऋण जोखिम

बैंक परिचालन में विभिन्न प्रयोजनों के लिए ग्राहकों को ऋण और अग्रिमों की मंजूरी शामिल है। ये ऋण लघु या दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं और उपभोक्ता वित्त के लिए व्यावसायिक ऋण हो सकते हैं जैसे टिकाऊ वस्तुओं, संपत्ति और वाहनों की खरीद। बैंकों द्वारा प्रदान किए गए अन्य प्रकार के ऋण सूक्ष्म ऋण हैं. छोटे उधारकर्ताओं और आकस्मिक दायित्वों के लिए जो बैलेंस शीट लेनदेन बंद हैं।

जब बैंक ग्राहक से ऋण प्रस्ताव प्राप्त करता है तो ऋण की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

ऋण की आवश्यकता उपकरण खरीद के लिए या कार्यशील पूंजी वित्त आवश्यकताओं के लिए हो सकती है। अगर यह उपकरण खरीद के लिए है राशि का भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता को किया जाएगा। यदि यह एक कार्यशील पूंजी है, आवश्यकता, ग्राहक के नाम पर एक परिचालन बैंक खाता खोला जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर राशि आहरित करने की अनुमति दी जाएगी। ऋण प्रस्ताव का मूल्यांकन आंतरिक रेटिंग प्रणाली या क्रेडिट रेटिंग द्वारा किया जाता है बाहरी रेटिंग एजेंसियों।

ऋण की मंजूरी के बाद बैंक को ऋण का पालन करने और उसकी निगरानी करने की आवश्यकता होती है, हिसाब किताब। यदि बकाया भुगतान हो तो स्वीकृत ऋण डिफ़ॉल्ट या खराब ऋण बन सकता है (या तो ब्याज राशि या सिद्धांत राशि की किस्त) 90 दिनों से अधिक है। इस प्रकार क्रेडिट जीवन चक्र चार चरणों, क्रेडिट अवसर, क्रेडिट मूल्यांकन, क्रेडिट प्रबंधन और क्रेडिट शामिल है.

उधारकर्ताओं की ऋण योग्यता बैंक द्वारा ऋण प्रतिबद्धता को प्रभावित करेगी। पूर्व आवश्यक वस्तुएँ स्वीकृत ऋण के लिए उधारकर्ता की ऋण योग्यता पर निर्भर करता है। ऋण की आवश्यकता उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करता है।

व्यक्तिगत ऋण पात्रता के अलावा अनुमानित नकदी प्रवाह, अनुमानित निवेश और उधारकर्ता के पिछले प्रदर्शन के सम्बंध में प्रस्तावित बैंक की योग्यता का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए.

बैंकों के लिए जोखिम जोखिम की गणना तीन कारकों पर विचार करके की जाती है। गलत मानदंड, प्रतिशत, बैंक और अनुमानित वसूली दर के लिए जोखिम मूल्य।

डिफ़ॉल्ट पर नुकसान = D x E x (1-R)

जहां डी डिफ़ॉल्ट प्रतिशत है, ई एक्सपोज़र वैल्यू है और आर रिकवरी दर है।

क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया का उदाहरण नीचे दिया गया है।

बैंकों द्वारा क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन सूचना की आवश्यकता

आवेदकों का विवरण	आवेदकों का विवरण
• इकाई का नाम • पंजीकृत कार्यालय पता • संपर्क व्यक्ति का नाम • कारखाने / प्रतिष्ठान का पता • पत्र व्यवहार हेतु पता • कार्यालय अनुबंध विवरण • निगमन की तारीख • व्यापार शुरू होने की तिथि • गठन की तारीख	• खाता संख्या • खाता खोलने की तारीख • आवेदक खाते की शाखा चाहे मौजूदा उधारी ग्राहक • कार्य - क्षेत्र • उत्पाद / सेवा की प्रकृति की पेशकश की • व्यवसाय के संविधान का प्रकार • व्यवसाय इकाई की मौजूदा गतिविधि • व्यावसायिक इकाई की प्रस्तावित गतिविधि • मूल कंपनी का नाम यदि कोई हो

ऋण का उद्देश्य	ऋण का उद्देश्य
• धन का अपेक्षित स्रोत • व्यवसाय के मालिक • अपेक्षित खाता कारोबार • निवेश पर प्रतिफल • बिक्री शुरू • निदेशक का विवरण • बोर्ड का विवरण • कंपनी के प्रमुख शेयरधारक और उनका पता	• उधार इकाई के साथ एक्सपोजर • अन्य बैंक समूह • क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया गया • क्रेडिट सुविधा लागू - सुविधा का प्रकार - रकम - प्रयोजन - टेनर - प्राथमिक सुरक्षा - जमानत की सुरक्षा - सुरक्षा की मुद्रा

आस्तियों का विवरण	प्रत्येक प्रकार की संपत्ति पर जानकारी
• भूमि • उपकरण • विद्युत • मशीनरी • अन्य संपत्तियां	• संपत्ति का उद्देश्य • आयातित / स्वदेशी • प्रदायक • कुल • लागत • प्रमोटरों का योगदान • ऋण की आवश्यकता

व्यापार की जानकारी	मौजूदा क्रेडिट सुविधा विवरण
• संपार्श्विक का विवरण • व्यापार के ग्राहकों का विवरण • मुद्राएँ जिसमें व्यवसाय है संचालित • कर्मचारियों की संख्या	• सुविधा के प्रकार • सीमाएं (मूल्य) • पूर्व की तरह ही उत्कृष्ट लेखांकन की तारीख • वर्तमान में साथ काम कर रहे बैंकों के नाम • सुरक्षा दर्ज की गई • ब्याज की दर • चुकौती शर्तें

पिछला प्रदर्शन (दो वर्ष)	भविष्य का अनुमान (वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष)
• कुल बिक्री • शुद्ध लाभ • पूंजी (निवल मूल्य) • कुल ऋण • आयात • निर्यात	• कुल बिक्री • शुद्ध लाभ • पूंजी (निवल मूल्य) • कुल ऋण • आयात • निर्यात

व्यापार और कृषि ऋण

व्यवसाय के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है -

1. कार्यशील पूंजी अग्रिम और 2. परियोजना ऋण।

बैंकों द्वारा ऋण की मंजूरी कई तरीकों पर आधारित हो सकती है. टर्नओवर विधि अनुमानित बिक्री, व्यापार की शर्तों, नकदी प्रवाह और प्रस्ताव के व्यापार चक्र पर केंद्रित है. मूल्यांकन के आधार पर एक क्रेडिट सीमा को मंजूरी दी जाएगी। नकदी प्रवाह विधि उद्योग की क्षमता, क्षेत्र के अनुमानों और क्षेत्रीय प्रदर्शन पर विचार करेगी. व्यवसाय की क्रेडिट सीमा निर्धारित करने में परियोजना, कैश बजट पद्धति बिक्री पूर्वानुमान का उपयोग करती है, बाजार पूर्वानुमान, निवेश पूर्वानुमान, ऋण प्रतिबद्धता व्यय, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और परियोजना व्यय का अनुमान।

अनुमानित बैलेंस शीट विधि संपत्ति का विश्लेषण करके व्यवसाय के कुल प्रदर्शन से संबंधित है संरचना, निवेश संरचना, उधार संरचना और पूंजी संरचना। इन संतुलन की परियोजनाएं तरलता और नकदी प्रवाह के संदर्भ में शीट मानदंड व्यवसाय के लिए क्रेडिट सीमा की पहचान करते हैं।

नेट स्वामित्व वाली निधि पद्धति जोखिम अनुमानों, उधारकर्ता की पूंजी प्रतिबद्धता, सुरक्षा का उपयोग करती है आवश्यकताओं, गारंटी आवश्यकताओं और उधारकर्ता के शुद्ध स्वामित्व वाले फंड की गुणवत्ता।

पर इन अनुमानों के आधार पर बैंकों द्वारा ऋण प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। व्यावसायिक ऋणों को मंजूरी देते समय, बैंक प्रक्रियाओं के एक मानक सेट का पालन करता है जिसमें शामिल हैं विश्लेषणात्मक उपकरणों के अनुप्रयोग, मूल्यांकन के तरीके, ऋण वितरण का तरीका, निगरानी भुगतान का निर्धारण और निर्धारण। इसी तरह निर्यात और आयात ऋण के लिए एक अलग सेट मानक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

अतिरिक्त ऋण जोखिम और ऋण पुनर्गठन प्रस्तावों पर बैंकों द्वारा विचार किया जाता है प्रस्ताव के लिए विशिष्ट औचित्य पर विचार करते हुए मामला आधार। खरीफ और रबी मौसम के दौरान बैंकों द्वारा कृषि ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। ये ऋण हो सकते हैं उर्वरकों या बीजों और अन्य की खरीद के लिए, सिंचाई सुविधाओं के लिए उपकरणों की खरीद भूमि विकास जैसे उद्देश्य।

क्रेडिट मूल्यांकन

ऋण मूल्यांकन उधारकर्ता द्वारा ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करने से शुरू होता है। बैंक क्रेडिट मूल्यांकन के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं. पहले जिस परियोजना के लिए अपेक्षित ऋण के लिये पूंजी पर्याप्तता, अनुमानित नकदी प्रवाह, वर्तमान प्रदर्शन, अतीत के संदर्भ में मूल्यांकन किया गया चुकौती और बैंकिंग प्रक्रियाओं के पालन के मामले में उधारकर्ता का प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है.

इसके अलावा बैंकों पूर्व निर्धारित मानदंड या वे पर आधारित आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली का पालन करते हैं, जो कि प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित बाहरी क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर हो सकता है। परियोजना के आकलन करने के बाद अगला मुद्दा ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में पेश की गई प्रतिभूतियों का मूल्यांकन होगा।

तत्पश्चात, उधारकर्ता का वर्तमान प्रबंधन और उसके इतिहास का मूल्यांकन होगा, विभिन्न स्रोतों से रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त योग्यता और अन्य गुणात्मक पैरामीटर जैसे कि उधारकर्ता के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले अन्य बैंकों के रूप में, उधारकर्ता और अन्य के आपूर्तिकर्ता ऋण सूचना एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर होगा.

एक बार ऋण का निर्णय हो जाने के बाद, बैंक कर्मचारियों को निगरानी करनी होगी और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करनी होगी. बैंक उधारकर्ता से आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करने पर जोर देते हैं और ऋण राशि की प्रगति और उपयोग का पता लगाने के लिए उधारकर्ता के परिसर का दौरा भी करते हैं।

आमतौर पर बैंक प्रस्ताव की क्रेडिट योग्यता तक पहुँचने के लिए प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन करने के लिये कुछ प्रमुख अनुपातों की गणना करते हैं और इसके अलावा उधारकर्ता के नकदी प्रवाह की स्थिति का विश्लेषण करते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं और उधारकर्ताओं से "नो योर कस्टमर नॉर्म्स" (केवाईसी) को अपनाने पर जोर दिया है.

बैंकों में उचित ऋण मूल्यांकन में कुछ बाधाएं प्रशासनिक प्रक्रियायें भी शामिल हैं, कर्मचारियों की क्षमता और क्रेडिट मंजूरी के गैर एकीकरण और प्रक्रियाओं का पालन करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए गए गैर विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया में एक और बाधा है.

क्रेडिट मूल्यांकन में बाधायें

नकदी प्रवाह आधारित ऋण की तुलना में परिसंपत्ति आधारित उधार पर ध्यान दें।
उद्योग विशिष्ट मूल्यांकन उपकरण का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
क्रेडिट अनुमोदन के लिए समिति के अनुमोदन पर आरबीआई के निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है
समिति के सदस्य आवश्यकता पड़ने पर बार-बार सुधार नहीं करते हैं।
पूंजी बाजार के वित्त पोषण, प्रतिभूति या अचल संपत्ति के प्रस्ताव या कमोडिटी बाजार। जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के मामले में अतिरिक्त मूल्यांकन की आवश्यकता है.

.

ऋण जोखिम की गणना

बैंक ऋण देने की प्रक्रिया में क्रेडिट जोखिम अंतर्निहित है। इसलिए बैंकों को सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी, जोखिम उपायों को समझना होगा और लागू करना होग. क्रेडिट प्रबंधन में शामिल सभी कर्मियों और विभागों क्रेडिट जोखिम की पूरी समझ होनी चाहिए। बैंक जोखिम के व्यवस्थित तरीकों का पालन करते हैं ऋण निर्णयों के लिए संगणना और उन्हें लागू करते हैं। वे इस उद्द्येश्य की पूर्ति हेतु विकसित और क्रेडिट जानकारी व्यवस्थित करते हैं.

बैंकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली आंतरिक रेटिंग प्रणाली के लिये परियोजना और उधारकर्ता की वित्तीय और गुणात्मक दोनों जानकारियों का होना आवश्यक है. जोखिम की मात्रात्मक माप के लिए अनुपात और नकदी प्रवाह अनुमान कुछ प्रमुख आधार हैं। उधारकर्ता के लिए समय पर माप या एक उपाय जिसे ऋण सेवा अवधि के दौरान मॉनिटर किया जाना बैंकों द्वारा गणना किए गए जोखिम के उपाय हो सकते हैं।

इन मॉडलों की त्रुटि संभावना की निरंतर समीक्षा और अद्यतन करके जो कि बैंक जोखिम को काफी हद तक कम कर सकेंगे और उन्हें आवेदन के लिए वांछनीय बनाएं। आंतरिक रेटिंग प्रणाली के अलावा बैंक रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी पर भी निर्भर करते हैं। ऋण विश्लेषण के आधार पर ऋण प्रस्तावों को श्रेणीबद्ध और श्रेणीबद्ध किया जाएगा। उधारकर्ता के व्यवसाय को प्रभावित करने वाले नए विकास या परिवर्तन के आधार पर इन रेटिंग्स और ग्रेड में बदलाव हो सकता है.

तदनुसार गलती और नुकसान की संभावना को लचीला रखना होगा और समय-समय पर समीक्षा की जरूरत है।

कारक	उदाहरण के प्रकार
संचालन का आकार	पूंजी और शुद्ध संपत्ति की राशि
सुरक्षा	वर्तमान अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, और वर्तमान खाता शेष अनुपात
लाभ	संपत्ति, परिचालन लाभ, आवश्यक वर्षों पर लाभ ब्याज का भुगतान करें back असर दायित्व, और ब्याज सहित अनुपात
अन्य	बिक्री और मुनाफे में वृद्धि की दर

.

कारक	उदाहरण के प्रकार
उद्योग	बाजार में विकास का उतार-चढ़ाव एवं प्रवेश में बाधायें
सुरक्षा	वर्तमान अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, और वर्तमान खाता शेष अनुपात
फर्म	मूल कंपनियों या संबद्ध के साथ फर्म के स्वामित्व संबंध, प्रबंधन की क्षमता और बाहरी ऑडिट प्रणाली का अस्तित्व

ऋण जोखिम प्रबंधन

प्रभावी ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए, बैंकों को एक एकीकृत क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना होगा. बोर्ड स्तर पर अधिकारियों के साथ-साथ शाखा स्तर पर क्रेडिट जोखिम में काम करने वाले बैंक कर्मचारी को भी शामिल करना होगा. सिस्टम में उचित प्रक्रिया, प्रलेखन, मूल्यांकन और क्रेडिट ऑडिट के तरीके हैं शामिल किया जाना चाहिये.

क्रेडिट जोखिम में स्वीकृत ऋण की हानि की संभावना शामिल है। इस नुकसान में ब्याज या मूल का भुगतान न करना, काउंटर पार्टी दायित्वों को पूरा नहीं किया जाना, निपटान के दावों को पूरा नहीं किया जाना, डिफ़ॉल्ट प्रतिबंध के आधार पर गलती, विदेशी मुद्रा प्रेषण और उधारकर्ता की आकस्मिक व्यय को पूरा करने में असमर्थता शामिल हैं.

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड एक व्यापक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिये जिसमें रणनीति, संगठनात्मक संरचना, सिस्टम समर्थन, क्रेडिट जोखिम रेटिंग ढांचा, क्रेडिट जोखिम सीमा, क्रेडिट जोखिम मॉडलिंग, क्रेडिट जोखिम मूल्य निर्धारण, जोखिम शमन, कम समीक्षा तंत्र और क्रेडिट ऑडिट आते हैं.

ऋण जोखिम गणना के लिए मॉडल के संबंध में बैंकों के पास कई विकल्प हैं। कुछ लोकप्रिय मॉडल उपयोग में ऑल्टमैन के मॉडल, क्रेडिट मैट्रिक्स मॉडल, जोखिम मॉडल पर मूल्य और केएमवी मॉडल हैं। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के लिए इसकी उपयुक्तता और बैंकों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए एक मॉडल चुना और अपनाया जा सकता है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य केवल जोखिम को कम करना नहीं है, बल्कि इसके जोखिम को कम करना है संपार्श्विक प्रतिभूतियों, गारंटी, क्रेडिट डेरिवेटिव के माध्यम से सुरक्षा उपायों को अपनाकर क्रेडिट जोखिम और बैलेंस शीट नेटिंग। विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाने के लिए क्रेडिट एक्सपोजर और प्रबंधन कॉल पर आरबीआई दिशानिर्देश। इस ऋण प्रतिबंधों पर मात्रात्मक और गुणात्मक प्रतिबंध दोनों को निर्दिष्ट करता है।

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

.

ऋण निगरानी हेतु उपाय सम्बंधित आवश्यक प्रश्न

1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसे कहते हैं?

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो ए) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो, बी) इसका मुख्य कारोबार उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों/स्टॉक/ बांड्स/ डिबेंचरों/प्रतिभूतियों, पट्टा कारोबार, किराया-खरीद(हायर-पर्चेज), बीमा कारोबार, चिट संबंधी कारोबार में निवेश करना, तथा सी) इसका मुख्य कारोबार किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत एकमुश्त रूप से अथवा किस्तों में जमाराशियां प्राप्त करना है। किंतु, किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ऐसी कोई संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य कारोबार कृषि, औद्योगिक, व्यापार संबंधी गतिविधियां हैं अथवा अचल संपत्ति का विक्रय/क्रय/निर्माण करना है। [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आइ(सी)] एक महत्वपूर्ण पहलू जो ध्यान में रखा जाना है, यह है कि धारा 45 आइ(सी) में किए गए उल्लेख के अनुसार ऋण/अग्रिमों से संबंधित गतिविधियां स्वयं की गतिविधि से इतर की गतिविधियां हों। यदि यह प्रावधान न होता तो समस्त कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होतीं।

2. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां किसे कहते हैं?

जिन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की परिसंपत्तियों का आकार पिछले लेखापरीक्षा किए गए तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो उन्हें प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां माना जाता है। इस प्रकार से वर्गीकरण किए जाने के लिए तर्क यह है कि इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों का हमारे देश की वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ेगा।

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

3. क्या भारतीय रिज़र्व बैंक सभी वित्तीय कंपनियों का विनियमन करता है?

नहीं। कुछेक वित्तीय कारोबार के लिए विशेष विनियामक हैं जिनकी स्थापना क़ानून द्वारा, उन्हें विनियमित एवं उनका पर्यवेक्षण करने के लिए की गई है, जैसे- बीमा कपनियों के लिए इरडा(आइआरडीए), मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल कंपनी,स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी तथा म्युचुअल फंडों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी), आवास वित्त कपंनियों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) निधि कंपनियों के लिए कंपनी कार्य विभाग(डीसीए) और चिट फंड कंपनियों के लिए राज्य सरकारें। ऐसी कंपनियां जो वित्तीय कारोबार करती हैं किंतु उनका विनियमन अन्य विनियामकों द्वारा किया जाता है, उन्हें रिज़र्व बैंक ने कई प्रकार की विनियामक अपेक्षाओं से विशेष छूट प्रदान की है जैसे – पंजीकरण, चलनिधि परिसंपत्तियां बनाए रखना, सांविधिक आरक्षित निधि आदि। नीचे दिए गए चार्ट में गतिविधियों के स्वरूप एवं संबंधित विनियामकों की जानकारी दी गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक किस प्रकार की विशेष वित्तीय कंपनियों का विनियमन करता है?

भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करता है जो (i) उधार देने, (ii) शेयरों, स्टाक, बांडों को प्राप्त करने आदि, अथवा (iii) वित्तीय रूप से पट्टा कार्य या किराया खरीद करने का कारोबार कर रही हैं। रिज़र्व बैंक उन कंपनियों के विनियमन का कार्य भी करता है जिनका मुख्य कार्य जमाराशियां लेना है (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई(सी).

5. 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास क्या शक्तियां हैं, अर्थात् ऐसी कंपनियों के बारे में जो मुख्य कारोबार के 50-50 मानदंडों को पूरा करती हैं?

भारतीय रिज़र्व बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत ऐसी कंपनियों के बारे में जो मुख्य कारोबार के 50-50 मानदंडों को पूरा करती हैं, को पंजीकृत करने, नीति-निर्धारण करने, निर्देश देने, निरीक्षण करने, विनियमित करने, पर्यवेक्षण करने तथा उन पर निगरानी रखने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों, एवं अधिनियम के अंतर्गत जारी निदेशों अथवा आदेशों का उल्लंघन करने पर दंडित कर सकता है। दंड के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर सकता है, उसे जमाराशियां लेने से मना कर सकता है तथा उनकी आस्तियों के स्वत्वाधिकार का अंतरण कर सकता है अथवा उसे बंद करने के लिए याचिका दायर कर सकता है।

C. संस्थाएं जिनका विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक नहीं करता है

6. भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा कंपनियों, स्टाक ब्रोकिंग एवं मर्चेंट बैंकिंग कंपनियों, निधि, आवास वित्त कंपनियों और चिट फंड कंपनियों को विनियमित क्यों नहीं करता है?

इन कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत करने एवं उसके द्वारा विनियमित किए जाने से छूट प्रदान की गई है ताकि उनका दुहरा विनियमन न हो क्योंकि उनका विनियमन वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों द्वारा किया जाता है।

7. क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इन छूट प्राप्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में कोई सांविधिक शक्ति है?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि छूट कितनी दी गई है। उदाहरण के लिए आवास वित्त कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन से छूट प्राप्त है। अन्य संस्थाएं जैसे- चिट फंड, निधि कंपनियां, म्युचुअल लाभ कंपनियां, बीमा कंपनियां, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, स्टाक ब्रोकिंग कंपनियां आदि को पंजीकरण, चलनिधि आस्तियों एवं सांविधिक आरक्षित चलनिधि की अपेक्षाओं से छूट प्रदान की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक कोई निर्देश इसलिए नहीं जारी करता है ताकि अन्य वित्तीय विनियामकों द्वारा जारी निर्देशों के साथ उनका कोई संघर्ष न हो, अन्य वित्तीय विनियामक इस प्रकार हैं जैसे - आवास वित्त कंपनियों का विनियमन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा, बीमा कंपनियों का इरडा द्वारा, स्टाक ब्रोकिंग, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियों, वेंचर कैपिटल कंपनियों तथा सामूहिक निवेश योजना चलाने वाली कंपनियों एवं म्युचुअल फंडों का विनियमन सेबी द्वारा, निधि कंपनियों का विनियमन कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा और चिट फंड कंपनियां संबंधित राज्य सरकारों के विनियामक दायरे के अंतर्गत आती हैं।

8. क्या भारतीय रिज़र्व बैंक उन कंपनियों का विनियमन करता है जो अपने कारोबार के अंग के रूप में वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत हैं ?

रिज़र्व बैंक उन कंपनियों का विनियमन व पर्यवेक्षण करता है जो अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी हैं। अत: वैसी कंपनियाँ जो प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि प्रचालन, औद्योगिक गतिविधि, माल की खरीद और बिक्री, सेवाएँ प्रदान करने या अचल सम्पत्तियों की बिक्री या निर्माण से जुड़ी हैं और छोटे स्तर पर कोई वित्तीय व्यवसाय कर रही हैं तो वे रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं की जाएंगी ।

9. ऐसी कंपनियाँ जो वित्तीय आस्तियों एवं उनसे प्राप्त आय के 50-50 प्रतिशत मानदंड को पूरा नहीं करती हैं, पर जमाराशियाँ प्राप्त कर रही हैं – क्या वे भारतीय रिज़र्व बैंक के दायरे में आती हैं?

वह कंपनी जिसके पास उसकी कुल आस्तियों के 50% से अधिक की वित्तीय आस्तियां नहीं हैं और इन आस्तियों से होने वाली आमदनी कुल आमदनी के 50% से कम है, तो उसे एनबीएफसी नहीं कहा जाएगा। इसका प्रमुख व्यवसाय गैर –वित्तीय गतिविधि जैसे कृषि प्रचालन, औद्योगिक गतिविधि, माल की खरीद और बिक्री, या अचल सम्पत्तियों की बिक्री /निर्माण होगा और इन्हें गैर-बैंकिंग गैर –वित्तीय कंपनी माना जाएगा। एक गैर-बैंकिंग गैर वित्तीय कंपनी द्वारा जमा राशियाँ ग्रहण करना ' कंपनी जमाराशियाँ स्वीकृति नियम, 1975' द्वारा शासित है। राज्य सरकारों में कंपनियों के रजिस्ट्रार इन योजनाओं का प्रबंधन करते है।

D. प्रमुख व्यवसाय के मानदंड (पी बी सी)

10. "प्रमुख व्यवसाय" के रूप में वित्तीय गतिविधि संचालन से क्या तात्पर्य है?

वित्तीय गतिविधि को 'प्रमुख व्यवसाय' का दर्जा तभी मिलेगा, जब कंपनी की वित्तीय आस्तियां कुल आस्तियों की 50 प्रतिशत से अधिक हों और वित्तीय आस्तियों से होने वाली आय कुल आय के 50 प्रतिशत से अधिक हो। वह कंपनी जो ये दोनों मानदंड पूरा करती है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत की जाएगी । 'प्रमुख व्यवसाय' शब्द को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। रिज़र्व बैंक ने इसे इसलिए स्पष्ट किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उन्हीं कंपनियों का उसके पास पंजीकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण हो जो मुख्य रूप से वित्तीय गतिविधि से जुड़ी हैं और दूसरी ट्रेडिंग, मैन्यूफैक्चरिंग या इंड्स्ट्रियल कंपनीज् उसके विनियमन अधिकारक्षेत्र के दायरे में न लाई जाएं। दिलचस्प बात यह है कि, इस परीक्षण को आमतौर पर 50-50 परीक्षण के रूप में जाना जाता है और इसका प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कंपनी वित्तीय व्यवसाय में है या नहीं।

E. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ (आरएनबीसी)

11. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (आरएनबीसी) क्या है? अन्य एनबीएफसी से यह किस प्रकार भिन्न है?

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी की एक श्रेणी है जिसका 'प्रमुख व्यवसाय ' किसी भी योजना, व्यवस्था या किसी अन्य तरीके से जमा राशियाँ प्राप्त करना है। ये कंपनियाँ निवेश, आस्ति वित्तपोषण या ऋण देने का कार्य नहीं करती। जमाराशियों के संग्रहण की पद्धति और जमाकर्ताओं की निधियों के विनियोजन के मामले में इन कंपनियों की कार्य प्रणाली एनबीएफसी से भिन्न है । इन कंपनियों को, हालांकि रिज़र्व बैंक द्वारा अब निर्देश दिया गया है कि कोई जमाराशि स्वीकार न करें और आरएनबीसी के रूप में अपना व्यवसाय बंद कर दें।

12. हमें मालुम है कि आरएनबीसी द्वारा जमाराशियाँ जुटाने की कोई उच्चतम सीमा नहीं है , ऐसे में उनके पास जमाराशि रखना कितना सुरक्षित है ?

यह सच है कि आरएनबीसी द्वारा जमाराशियाँ जुटाने की कोई उच्चतम सीमा नहीं है । फिर भी, प्रत्येक आरएनबीसी को यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास जमा की गई राशियों का निवेश पूरी तरह से अनुमोदित निवेशों में किया जाए। दूसरे शब्दों में, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, ऐसी कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी जमा देयता का 100 प्रतिशत अत्यधिक तरल और सुरक्षित लिखतों उदाहरणार्थ केंद्रीय /राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों(SCB) की सावधि जमाओं, अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों / वित्तीय संस्थानों के जमा प्रमाणपत्रों, म्युचुअल फण्ड्स की यूनिटों इत्यादि में निवेश करें ।

13. यदि जमा-किस्तें नियमित रूप से न अदा की जाएं अथवा किस्तें जमा होना बंद हो जाए तो क्या आरएनबीसी जमाराशियों को जब्त कर सकती हैं?

नहीं, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई कोई राशि या कोई ब्याज, प्रीमियम, बोनस या उस पर अर्जित किसी भी लाभ को ज़ब्त नहीं कर सकती ।

14. वह ब्याज दर क्या है जिसे आरएनबीसी को जमाराशियों पर अनिवार्य रूप से चुकाना चाहिए और उनके द्वारा ली गई जमाराशियों की परिपक्वता अवधि कितनी होनी चाहिए?

एक आरएनबीसी को एकमुश्त में या मासिक अथवा लंबे अंतरालों पर जमा की गई जमाराशियों पर न्यूनतम 5% ब्याज(वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि) का भुगतान करना चाहिए; तथा दैनिक जमा योजना के अंतर्गत जमा की गई राशियों पर न्यूनतम 3.5% ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज में प्रीमियम, बोनस या अन्य कोई लाभ शामिल है, जोकि आरएनबीसी जमाकर्ताओं को रिटर्न के रूप में चुकाने का वादा करती है। आरएनबीसी ऐसी जमाराशियों की प्राप्ति की तिथि कम से कम 12 महीनों तथा अधिकतम 84 महीनों की अवधि हेतु जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती हैं। वे मांग पर चुकौती योग्य जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकतीं। हालांकि, वर्तमान में, मौजूदा दो आरएनबीसी (पियरलेस तथा सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लि.) को रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि वे जमाराशियां लेना बंद कर दें, जमाकर्ताओं को जमाराशियों की चुकौती करें और अपने आरएनबीसी व्यवसाय को समाप्त करें क्योंकि उनका व्यवसाय मॉडल स्वाभाविक रूप से अव्यवहार्य है ।

F. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य /अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

15. जमा राशि किसे कहते है?

किसी भी तरह से जमा किया गया पैसा जमा राशि होता है सिवाय शेयर पूंजी, भागीदारी कंपनी के शेयरों के लिए भागीदार से लिया गया अंशदान, प्रतिभूति जमा, बयाना जमा, माल की खरीद, सेवाएं या निर्माण हेतु अग्रिम, बैंको, वित्तीय संस्थाओ और साहूकारों से लिया गया ऋण, चिट फंडो के लिए दिया अभिदान। उपर्युक्त तरीकों को छोड़कर किसी तरह से जमा किए गए पैसे को जमाराशि कह सकते है।

16. वे कौन- कौन सी संस्थाएं है जो वैधानिक तौर पर जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु अधिकृत हैं?

सहकारी बैंकों सहित सभी बैंक जमाराशियां स्वीकार कर सकते हैं। गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करने के विशिष्ट लाइसेंस के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए पात्र हैं। दूसरे शब्दों में, रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत सभी एनबीएफसीज़् जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए पात्र नहीं है, केवल वही एनबीएफसीज़् जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए पात्र हैं जिनके पास जमाराशि ग्रहण करने का पंजीकरण प्रमाणपत्र है। साथ ही, ये केवल अनुमत सीमा तक ही जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती हैं। आवास वित्त कंपनियां जिन्हें जमाराशियां जुटाने हेतु दुबारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया है और वे कंपनियाँ जिन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के अधीन बनाए गए 'कंपनी जमा ग्रहण नियम' के तहत जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु अधिकृत किया गया है, भी एक निश्चित सीमा तक जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती हैं। सहकारी साख समितियाँ अपने सदस्यों से जमाराशियां स्वीकार कर सकती है किंतु आम जनता से नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक केवल बैंको, सहकारी बैंको और एनबीएफसी द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियों को विनियमित करता है।

अन्य संस्थाओं को सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने की वैधानिक अनुमति नहीं है। अनिगमित निकायों यथा व्यक्ति, भागीदारी कंपनियाँ और व्यक्तियों के अन्य समूहों को उनके प्रमुख व्यवसाय के रूप में जनता से जमाराशियां स्वीकार करने की मनाही है। ऐसे अनिगमित निकाय अगर वित्तीय व्यवसाय चलाते भी हों तो भी उन्हें जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

17. क्या भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत सभी एनबीएफसीज़् जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती हैं? क्या रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होने का तात्पर्य है कि कंपनी जमाराशियाँ जुटा सकती है?

नहीं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत होने मात्र से किसी एनबीएफसी को जमाराशियाँ स्वीकार करने की स्वत: अनुमति नहीं मिल जाती। भारतीय रिजर्व बैंक एनबीएफसी को जमाराशियां स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करता है। यह अनुमति पंजीकृत एनबीएफसी के तीन वर्षों के कार्यनिष्पादन की जाँच के पश्चात दी जाती है। एनबीएफसी को जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति है इसका पंजीकरण प्रमाणपत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। वस्तुत:, एक लोक नीति के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया है कि केवल बैंको को ही जनता से जमाराशियां स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और तदनुसार 1997 से किसी भी नई एनबीएफसी को जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी नहीं किया है।

18. एनबीएफसीज़् को जनता से जमाराशियाँ जुटाने की अनुमति देने में भारतीय रिजर्व बैंक का रुख इतना प्रतिबंधात्मक क्यों है?

भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी वित्तीय संस्था के पर्यवेक्षण में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा को अत्यंत महत्व देता है। कोई निवेशक किसी कंपनी में निवेश इस आशय के साथ करता है कि वह प्रवर्तकों के साथ जोखिम और लाभ को शेयर करेगा जबकि एक जमाकर्ता किसी भी संस्था में अपनी जमाराशि केवल विश्वास के आधार पर जमा करता है। अतएव, वित्तीय विनियम में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। बैंक अत्यधिक विनियमित वित्तीय संस्थाए होती हैं। बैंको के विफल होने की स्थिति में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाराशियों पर एक लाख रूपये तक की बीमा राशि का भुगतान करता है।

19. वे कौन सी एनबीएफसीज़् हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से जमा राशि स्वीकारने के लिए प्राधिकृत किया गया है?

भारतीय रिजर्व बैंक अपनी वेब साइट www.rbi.org.in → साइट मैप → एनबीएफसी की सूची → जमा राशियां स्वीकार करने के लिए प्रधिकृत एनबीएफसी, पर उन एनबीएफसीज़् के नामों की सूची प्रकाशित करता है जिनके पास जमाराशियां स्वीकार करने का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र है। कभी- कभी कुछ कंपनियों को अस्थायी तौर पर जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु प्रतिबंधित कर दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु अस्थायी तौर पर प्रतिबन्धित की गई ऐसी एनबीएफसीज़् की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक इन दोनों सूचियों को अद्यतन रखता है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे एनबीएफसीज़् के पास जमाराशियां रखने के पहले वे इन सूचियों की जांच कर लें।

20. क्या कोई को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी जनता से जमाराशियां स्वीकार कर सकती है?

नहीं। को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती। वह अपने उप नियमों के तहत निर्धारित सीमा तक ही अपने सदस्यों से जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं।

21. क्या वेतनभोगी व्यक्तियों की समिति जनता से जमाराशियां स्वीकार कर सकती है?

नहीं। इन समितियों का गठन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए होता है और वे केवल अपने सदस्यों से ही जमाराशियां स्वीकार कर सकती है, न कि जनता ।

22. भारतीय रिजर्व बैंक को कैसे पता चलता है कि कोई कंपनी जो उसके पास पंजीकृत नहीं है, अनधिकृत रूप से जमाराशियाँ स्वीकार कर रही है अथवा कोई एनबीएफसी उससे पंजीकरण प्रमाणपत्र लिए बगैर उधार या निवेश की गतिविधियां चला रही है?

भारतीय रिजर्व बैंक को मुख्यत: जनता से प्राप्त शिकायतों, उद्योग जगत से प्राप्त खबरों और कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की अपवाद रिपोर्टों से यह पता चलता है कि कोई एनबीएफसी उसके प्राधिकार के बगैर अनधिकृत रूप से जमाराशियां स्वीकार कर रही है अथवा उधार या निवेश की गतिविधियों में लिप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक को समाचार पत्रों से प्राप्त मार्केट इंटेलीजेंस या अपने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एकत्रित सूचना अथवा अन्य स्रोतों के जरिए इसकी जानकारी मिलती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में वित्तीय क्षेत्रों के विनियामकों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय समन्वय समिति(एसएलसीसी) के रूप में एक संस्थागत पद्धति विकसित की है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों में राज्य सरकार के गृह और विधि विभागों के अधिकारी, कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशालय के अधिकारी, राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, रजिस्ट्रार ऑफ चिटस् और आईसीएआई के अधिकारी शामिल होते हैं। वित्तीय संस्थाओं की ऐसी अनधिकृत गतिविधियों की जानकारी साझा करने के लिए एसएलसीसी की बैठक प्रत्येक छह माह में होती है।

23. क्या पंजीकृत एनबीएफसी से संबद्ध/असंबद्ध प्रोप्राइटरशिप/भागीदारी कंपनियाँ जनता से जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती है?

नहीं। प्रोप्राइटरशिप/भागीदारी कंपनियाँ अनिगमित निकाय हैं। अतएव उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया है।

24. ऐसी कई ज्वैलरी शॉप है जो जनता से किस्तों में पैसा लेती हैं। क्या इसे जमाराशियाँ स्वीकार करना माना जायेगा?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या पैसा भविष्य में आभूषणों की आपूर्ति के लिए बतौर अग्रिम लिया जा रहा है या पैसा ब्याज के साथ वापस करने के वादे के साथ लिया गया है। ज्वैलरी शॉप द्वारा करार की अवधि के अंत में आभूषणों की आपूर्ति के लिए किस्तों में पैसा लेना जमाराशि लेना नहीं है। उसे जमाराशियां तभी माना जायेगा यदि ज्वैलरी शॉप द्वारा प्राप्त पैसे की वापसी के समय मूलधन के साथ-साथ ब्याज देने का वादा भी किया गया हो।

25. यदि ऐसे अनिगमित निकाय जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? यदि कोई एनबीएफसी जनता से जमाराशियां स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत नहीं है और वह अपने प्रवर्तकों द्वारा बनाई गई किसी प्रोप्राइटरशिप / भागीदारी फर्म का जमाराशियां संग्रह हेतु उपयोग करती है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है?

ऐसे अनिगमित निकाय, यदि जनता से जमाराशियां लेते हुए पाए जाते है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा एनबीएफसी के किसी भी अनिगमित निकाय से संबद्ध होने को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। यदि एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए जमाराशियां स्वीकार करने वाली किसी प्रोप्राइटरशिप / भागीदारी फर्म से जुड़ाव रखती है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कानून या जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय संस्थाओं में) अधिनियम, यदि राज्य सरकार द्वारा पारित हो, के तहत अभियोग चलाया जा सकता है।

26. भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना वित्तीय कंपनियां यदि उधार देने या निवेश करने को प्रमुख व्यवसाय बनाती है तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है?

यदि ऐसी कंपनियाँ जिन्हें एनबीएफसी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है, पंजीकरण प्रमाणपत्र लिए बगैर प्रमुख व्यवसाय के तौर पर गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां (जैसे उधार देना, निवेश करना या जमाराशियाँ स्वीकार करना) करती पाई जाती हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक उन पर दंड या जुर्माना लगा सकता है या न्यायाधिकरण में उन पर अभियोग चला सकता है। यदि जनता को ऐसी किसी संस्था के बारे में पता चलता है जो गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां चला रही है किंतु भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्राधिकृत एनबीएफसी की सूची में शामिल नहीं है तो इस बारे में रिज़र्व बैंक के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए ताकि भारतीय

रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सके।

27. एनबीएफसी द्वारा अपने उधारकर्ताओं से काफी अधिक ब्याज दर वसूल की जाती है। क्या एनबीएफसी द्वारा अपने उधारकर्ताओं से वसूल की जाने वाली ब्याजदर की कोई उच्चतम सीमा है?

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी- माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को छोड़कर) द्वारा उधारकर्ताओं से वसूल की जाने वाली ब्याजदर को नियंत्रण-मुक्त कर दिया है। कंपनी द्वारा प्रभारित ब्याज दर उधारकर्ता और एनबीएफसी के बीच हुए ऋण- करार की शर्तों से विनियमित (गवर्न) होती है। तथापि एनबीएफसी को पारदर्शी होना चाहिए और ब्याज दर एवं विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं हेतु ब्याजदर तय करने के तरीके का उल्लेख उधारकर्ता अथवा ग्राहक के ऋण आवेदन पत्र में दर्शाया जाना चाहिए और ऋण मंजूरी पत्र आदि में इसके बारे में स्पष्ट रुप से इसे अवगत कराया जाना चाहिए।

28. भारतीय रिज़र्व बैंक से विनियमित होने का झूठा/गलत दावा करने वाले किसी व्यक्ति/वित्तीय कंपनी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है?

भारतीय रिज़र्व बैंक से विनियमित होने का झूठा/गलत दावा कर किसी वित्तीय संस्था या अनिगमित निकाय द्वारा जनता को गुमराह करके जमाराशि स्वीकार करना गैर कानूनी है तथा भारतीय दण्ड संहिता के तहत उन पर दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय तथा पुलिस को दी जा सकती है।

29. चिट फंड द्वारा धन स्वीकार करने और जमाराशियाँ स्वीकार करने में क्या अंतर है?

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जमाराशियों को 'धन स्वीकार करने' के रूप में परिभाषित किया गया है बशर्ते यह शेयर कैपिटल के रूप में जुटाया गया धन, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त राशि, प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त राशि, बयाना राशि, वस्तु तथा सेवाओं के सापेक्ष अग्रिम और चिट्स का अभिदान नहीं हो। अन्य सभी राशियां जो चाहे ऋण के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में प्राप्त की गई हों उन्हें जमाराशि माना जाएगा। चिट फंड गतिविधि में सदस्यों द्वारा किस्तों में चिट में अंशदान किया जाता है और बारी-बारी से चिट के प्रत्येक सदस्य को चिट की राशि प्राप्त होती है। चिट्स में किए गए अंशदान को विशिष्ट रूप से जमा राशि की परिभाषा से बाहर रखा गया है और इसे जमाराशि नहीं माना जा सकता। हालांकि चिट फंड्स उपर्युक्त अभिदान संग्रहीत कर सकते हैं किंतु अगस्त 2009 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाराशियाँ स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

30. जमा ग्रहण न करने वाली पंजीकृत एनबीएफसीज़ जो ऋण एवं निवेश गतिविधियों से जुड़ी हैं, उनकी सूची कहाँ प्राप्त होगी?

जमाराशि ग्रहण न करने वाली एनबीएफसीज़ जो वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र धारित करती हैं तथा जिन्हें ऋण देने और निवेश करने की अनुमति है, की सूची, भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in → साइट मैप→ एनबीएफसी सूची → जनता की जमाराशियाँ ग्रहण न करने वाली एनबीएफसीज़ की सूची, पर उपलब्ध है।

क्रेडीट मॉनिटरिंग (ऋण निगरानी)

क्रेडिट मॉनिटरिंग की बहुत सारी चीजें मूल बातें, आपके क्रेडिट पर निर्भर करती हैं - ऋण स्वीकृतियां, बीमा प्रीमियम, नौकरी अनुप्रयोगों की सफलता। अपने क्रेडिट पर एक अच्छी समझ रखने से आपको जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ समय और धन की बचत हो सकती है। अपनी नि:शुल्क वार्षिक क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करते रहेने से साल भर का क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट की निगरानी भी समान रूप से होती रहती है।

क्रेडिट मॉनिटरिंग सेवा एक व्यक्तिगत सहायक और वॉचडॉग के रूप में कार्य करती है. ट्रांसयूनियन की क्रेडिट रिपोर्ट की निगरानी सेवा आपको अपने क्रेडिट इतिहास तक लगातार पहुंचने में सहायता प्रदान करती है, इसलिए आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को अपनी इच्छानुसार देख सकते हैं। यह आपकी क्रेडिट रिपोर्ट देखता है और आपको एलर्ट करता है. जब भी आपके किसी भी खाते में बदलाव हो, जैसे कि आपके नाम से नए खाते खोले जाएं, क्रेडिट कार्ड की बैलेंस बढ़े, या आपके एक लेनदार द्वारा रिपोर्ट की गई देर से भुगतान जैसी नकारात्मक जानकारियां तुरंत प्रदान करता है।

क्रेडिट स्कोर मॉनिटरिंग सेवाएं पहचान की चोरी को रोकने में मदद कर सकती हैं। जेवलिन स्ट्रेटजी एंड रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार, पहचान चोरी ने पिछले 15 वर्षों से संघीय व्यापार आयोग में की गई उपभोक्ता शिकायतों की सूची में सबसे ऊपर है।

चोर मेरी जानकारी के साथ क्या कर सकते हैं? आपके नाम और सामाजिक सुरक्षा संख्या के साथ, इम्पोस्टर क्रेडिट कार्ड खोल सकते हैं, एक अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं, एक कार ऋण ले सकते हैं और यहां तक कि नए बैंक खाते भी खोल सकते हैं। जब तक वे अपनी क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की समीक्षा नहीं करते हैं, तब तक अधिकांश पीड़ितों को यह एहसास नहीं होता है कि उनसे समझौता किया गया है, और इसमें बहुत देर हो सकती है। क्रेडिट मॉनिटरिंग सेवा का उपयोग करके सिरदर्द को कम करने में मदद मिल सकती है जो चोरी होने के बाद आपकी पहचान को बहाल करने की कोशिश करता है। जब भी कुछ भी संदिग्ध होता है, क्रेडिट मॉनिटरिंग आपको तुरंत कार्रवाई करने में मदद करती है।

आपकी उंगलियों पर क्रेडिट मॉनिटरिंग 2013 में, ट्रांसयूनियन ने उपभोक्ताओं को उनके क्रेडिट और व्यक्तिगत वित्त से जुड़े रहने में मदद करने के लिए एक नया मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह मोबाइल ऐप आसानी से क्रेडिट मॉनिटरिंग करता है- ईमेल के लिए और इंतजार नहीं करने देता है ताकि आपको पता चल सके कि आप अच्छे आकार में हैं। जब आप ट्रांसयूनियन क्रेडिट मॉनिटरिंग के लिए साइन अप करते हैं, तो आप अपने आईफोन से ऐप्पल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वास्तविक समय अलर्ट के साथ, यह पहचान चोरों की मदद करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है।

क्रेडिट मॉनिटरिंग आपको पहचान चोरों द्वारा लक्षित होने से नहीं रोक सकती है, लेकिन यह नुकसान को कम करने में निश्चित रूप से मदद कर सकती है।

ऋण वितरण के पश्चात सतर्कता उपाय

- **अनुवर्तन कार्यवाही**

ऋणों की सुरक्षा में ऋण वितरण पश्चात की अनुवर्तन कार्यवाही (followup) का बड़ा योगदान होता है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रभावी अनुवर्तन व्यवस्था मौजूद है पर इसका समयबद्ध तरीक़े से क्रियान्वयन न होने से, ऋणी को समय मिल जाता है भागने का। अतः इस दिशा में लापरवाही बरतने वाले सम्पूर्ण तन्त्र को कठोर रूप से दण्डित किया जाये।

- **प्राथमिक सतर्कता**

बड़े ऋणों के चूककर्ताओं के नाम ऋण की अनियमितता के प्रथम चरण में ही सार्वजनिक किये जाने चाहिए।

- **तकनीकी की सहायता से शीघ्र कदम उठाये जायें**

“संभावित अनियमित ऋणों की सूची” शीर्षक से एक वेबसाइट का निर्माण किया जाए जिसमें अनियमितता के प्रथम/द्वितीय/तृतीय व अन्तिम चरण में हुवे अनियमित ऋणों की सूची प्रदर्शित की जाए। इस साइट को बिना किसी चूक के नियमित रूप से अद्यतन किया जाये। इस कदम से भावी ठगों की पहचान समय रहते सार्वजनिक कर पाने में सहायता मिलेगी।

- **बड़े ऋणों की स्वीकृति पूर्व शीर्ष प्रबंधन तंत्र को सूचना**

करोड़ों रुपयों के बड़े ऋण बैंक निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत होते हैं और स्वीकृति पश्चात, सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाती है। अतः ऐसे ऋणों के नियमित अनुवर्तन करने व अनियमित होने की स्थिति में अनियमितता के प्रथम चरण में ही ऋणों की सूचना रिजर्व बैंक को प्रेषित करते हुए, ऋणियों के नाम सार्वजनिक किये जाने की सीधी जिम्मेदारी सम्बन्धित बैंक के निदेशक मंडल पर डाली जानी चाहिए।

रू 50 करोड़ व अधिक के ऋण मामलों में ऋणी की पासपोर्ट सम्बन्धित सूचनाओं को प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है, इस सीमा को रू 5/10 करोड़ तक घटाया जाना चाहिए। पासपोर्ट/वीजा जारी करने वाले प्राधिकरण को सख्त भाषा निर्देश दिये जाये कि इस सूची में शामिल आवेदकों को विदेश जाने की अनुमति तब ही प्रदान की जाये जब बैंक से “आपत्ति नहीं” प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाये।

§§

धन्यवाद

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

शुभ लक्ष्मी शर्मा, राजभाषा अधिकारी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर